सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की पंचम बैठक दिनाँक 10 फरवरी, 2014 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की पंचम बैठक दिनाँक 10 फरवरी 2014 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1. डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति, अध्यक्ष
2. डा0 राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ सदस्य
3. श्री रणवीर सिंह चिकारा, लाइव स्टाक ब्रीडर सदस्य
4. श्री पारस नाथ सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ सदस्य (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)
5. श्री रामचन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ सदस्य (प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि)
6. प्रौ0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ सदस्य (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)
7. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्त समिति को विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ करने के लिये किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी देने के उपरान्त बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 5.1: वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनाँक 04 अक्टूबर, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 04 अक्टूबर, 2013 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

10/2/14 10/2/14

प्रस्ताव संख्या 5.2: वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनाँक 04 अक्टूबर, 2013 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनाँक 04 अक्टूबर, 2013 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.3: विश्वविद्यालय के अधिकारियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रतिनिधानित करने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:-

क्र0 सं0	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	क्रय प्रक्रिया
01	एक बार में धनराशि रू0 5,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 50,000 तक परियोजना मद से	परियोजना अन्वेषक	उ0प्र0 शासन/ विश्वविद्यालय की क्रय प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।
02	एक बार में धनराशि रू0 10,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 1.0 लाख की सीमा तक	विभागाध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी, शोध केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र	-तदैव-
03	एक बार में धनराशि रू0 20,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 4.0 लाख की सीमा तक अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/ शिक्षकों/कर्मचारियों के सामान्य यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करना	कुलसचिव/ समस्त अधिष्ठाता	-तदैव-
04	एक बार में धनराशि रू0 20,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 2.0 लाख की सीमा तक प्रत्येक अनुसंधान केन्द्र/प्रत्येक परियोजना /शोध निदेशालय मुख्यालय हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के सामान्य यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करना	निदेशक शोध	-तदैव-
05	एक बार में धनराशि रू0 20,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 2.0 लाख की सीमा तक प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र तथा प्रसार निदेशालय मुख्यालय हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों	निदेशक प्रसार	-तदैव-

10/2/14

	के सामान्य यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करना		
06	एक बार में तकनीकी प्रकृति (कृषि निवेश, नीलामी, कृषि उपज मूल्य निर्धारण आदि) से भिन्न धनराशि रू0 30,000 तक तथा विद्युत, टेलीफोन, वाहन ईंधन के भुगतान सहित समस्त प्रकार के राजकीय देयों का भुगतान एक बार में धनराशि रू0 50,000 तक सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में कोई सीमा नहीं। अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करना	वित्त नियन्त्रक	–तदैव–

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 5.4: वाणिज्य कर सम्बन्धित प्रकरणों में पूर्व में कार्यरत अधिवक्ता के स्थान पर श्री नवीन कुमार गुप्ता, एडवोकेट को नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

श्री नवीन कुमार गुप्ता को वर्तमान वाद तथा आगामी वादों की पैरवी हेतु विश्वविद्यालय की ओर से एडवोकेट नामित करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये श्री नवीन कुमार गुप्ता, एडवोकेट को धनराशि रू0 11000 प्रतिवाद की दर से फीस तथा अन्य विविध व्यय का भुगतान अलग से किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः अध्यक्ष, विधिक समिति/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 5.5: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि शिक्षा विकास एवं संवर्धन हेतु प्रतिवर्ष स्वीकृत विकास अनुदान के सम्बन्ध में

कृषि शिक्षा विकास एवं संवर्धन हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष विकास अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ को धनराशि रू0 200.00 लाख विभिन्न मदों में संलग्न विवरण के अनुसार स्वीकृत की गयी थी।

10/2/14

परन्तु मद संख्या–4.1 में स्वीकृत रू0 35.00 लाख में से 15.00 लाख तथा मद संख्या–5.2 एवं 5.3 में स्वीकृत धनराशि क्रमशः 5.00 लाख तथा 5.00 लाख कुल धनराशि रू0 25.00 लाख को मद संख्या–1.2 में विश्वविद्यालय की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर व्ययावर्तन हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा पत्र संख्या–सवप/2013/वी0सी0/2424 दिनाँक 07 मार्च, 2013 द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पत्र प्रेषित किया गया था तथा दूरभाष पर भी इसी प्रकार का अनुरोध किया गया था। इसी पत्र में विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रू0 50.00 लाख की मांग की गयी थी, जिसपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पत्र संख्या–F.No.12(38)/2012-EP&D दिनाँक 22 मार्च, 2013 के द्वारा धनराशि रू0 50.00 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विकास अनुदान की द्वितीय किश्त जारी करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा व्ययावर्तन की धनराशि रू0 25.00 लाख कम करते हुए अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त धनराशि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर व्यय हो जाने के कारण धनराशि रू0 25.00 लाख की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2013–14 के शिक्षण लेखाशीर्ष के मानक मद 16–विद्यार्थियों पर व्यय से किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 5.6: विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सी0यू0जी0 मोबाईल हेतु रू0 99 प्रतिमाह (सेवाकर अतिरिक्त) की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किया जाना।

विश्वविद्यालय परिसर तथा विभिन्न केन्द्रों पर कार्यरत 50 से भी अधिक अधिकारियों/शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा वोडाफोन मोबाईल सी0यू0जी0 का प्रयोग किया जा रहा है। उक्त सी0यू0जी0 सुविधा के माध्यम से उनके द्वारा बहुत सस्ती दरों मात्र रू0 99 के प्रतिमाह शुल्क (सेवाकर अतिरिक्त) पर आपस में सम्पर्क कर लिया जाता है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर मांग की गयी है कि सी0यू0जी0 सुविधा विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/शिक्षकों/ कर्मचारियों हेतु उपलब्ध करा दी जाये तथा इसका न्यूनतम मासिक किराया धनराशि रू0 99 (सेवाकर अतिरिक्त) का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा कर दिया जाये। उक्त सुविधा का लाभ अधिकारियों/शिक्षकों/तृतीय

10/2/14

श्रेणी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने पर लगभग धनराशि रू0 23000 प्रतिमाह का व्यय होने का अनुमान है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभिन्न विभागाध्यक्षों को बी0एस0एन0एल0 लैंड लाईन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। विश्वविद्यालय में वोडाफोन सी0यू0जी0 मोबाईल सेवा उपलब्ध कराने के उपरान्त वर्तमान में संचालित बी0एस0एन0एल0 लैंड लाईन सुविधा (कुलपति/वित्त नियंत्रक/कुलसचिव/समस्त निदेशक एवं अधिष्ठाता आदि के अतिरिक्त) सुविधा समाप्त करने से विश्वविद्यालय को प्रतिमाह धनराशि रू0 11000 की बचत होने का अनुमान है। इस प्रकार वोडाफोन सी0यू0जी0 मोबाईल सेवा उपलब्ध कराने पर मात्र धनराशि रू0 12000 प्रतिमाह का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को वोडाफोन सी0यू0जी0 मोबाईल सेवा उपलब्ध कराने से विश्वविद्यालय के दिन प्रति दिन के कार्यों को संचालित करने में सुविधा होगी। अतः वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 5.7: मा0 कुलपति जी की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा कर्मी के वेतन का 10 प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाना।

पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना, निमित्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के पत्र संख्या–एलआईयू/अंग–हरीशंकर गौड़/14 दिनाँक 06 फरवरी, 2014 के अनुपालन में धनराशि रू0 3851.00 की प्रतिमाह विश्वविद्यालय द्वारा जमा किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः सुरक्षा अधिकारी)

प्रस्ताव संख्या 5.8: आडिट आपत्तियों की अद्यावधिक स्थिति

वित्त समिति द्वारा अद्यावधिक स्थिति का अवलोकन कर अपेक्षा की गयी की अवशेष आपत्तियों का निस्तारण शीघ्र कराया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 5.9: मा0 कुलपति जी को लेखा शीर्ष के अन्तर्गत एक मानक मद से दूसरे मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग स्वीकृत करने के अधिकार प्रतिनिहित किये जाने के सम्बन्ध में।

10/2/14

विश्वविद्यालय का वार्षिक आय–व्ययक लेखा शीर्षों जैसे–सामान्य, फार्म, शिक्षण, कैटेट आदि में विभक्त है तथा वित्त समिति की संस्तुति पर मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा वार्षिक आय–व्ययक अनुमोदित किया जाता है। किसी लेखा शीर्षों के कतिपय मानक मदों में कभी–कभी विशेष परिस्थितियों के कारण धनराशि की कमी हो जाती है तथा कुछ मानक मदों में धनराशि अवशेष रहती है। धनराशि की कमी होने के कारण अति आवश्यक कार्यों के निस्तारण में व्यवधान/विलम्ब की सम्भावना रहती है।

विश्वविद्यालय की तत्काल आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत एक मानक मद से दूसरे मानक मद में धनराशि के पुनर्विनियोग करने के अधिकार अध्यक्ष वित्त समिति/मा0 कुलपति जी को प्रतिनिधानित करने का प्रस्ताव पर शिक्षण लेखा शीर्ष, फार्म लेखा शीर्ष, कैटेट तथा कृषि विज्ञान केन्द्र (फार्म लेखा शीर्ष) पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 5.10: अन्य बिन्दु

(क) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सिंडिकेट बैंक का ए0टी0एम0 स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त ए0टी0एम0 का किराया भारतीय स्टेट बैंक के ए0टी0एम0/शाखा हेतु निर्धारित दरों के अनुरूप निर्धारित करने के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(ख) वित्त समिति की बैठक के बिन्दु संख्या–2.15 पर आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में निजी कम्पनियों के द्वारा निर्मित कृषि संबंधी उत्पादों के विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण करने के लिये दर निर्धारित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया थाः–

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि लाख में
1	सामान्य उत्पाद जैसे प्रजाति आदि का मूल्यांकन के लिए दो वर्ष के परीक्षण हेतु	रू0 5.0 लाख
2	संकर प्रजातियाँ के दो वर्षीय परीक्षण हेतु	रू0 7.0 लाख प्रति संकर
3	कृषि रसायनों के दो वर्षीय परीक्षण हेतु	रू0 7.0 लाख प्रति रसायन

10/2/14

परन्तु अनुभव किया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी दरें अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से अधिक होने के कारण आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में समस्त तथ्यों पर व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त दरों को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी:–

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि लाख में
1	सामान्य उत्पाद जैसे प्रजाति आदि का मूल्यांकन के लिए दो वर्ष के परीक्षण हेतु	रू0 3.0 लाख
2	संकर प्रजातियाँ के दो वर्षीय परीक्षण हेतु	रू0 4.0 लाख प्रति संकर
3	कृषि रसायनों के दो वर्षीय परीक्षण हेतु	रू0 4.0 लाख प्रति रसायन

(कार्रवाई: निदेशक अनुसंधान केन्द्र/वित्त नियंत्रक)

(ग) वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के प्रदर्शिनी/मेला स्थल को किराये पर देने तथा इस हेतु किराया निर्धारित करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

क्र0 सं0	विवरण	किराये की धनराशि प्रतिदिन(रूपये में)
1	राजकीय विभागों/संस्थाओं हेतु	रू0 10,000/–
2	राजकीय विभागों/संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य हेतु	रू0 20,000/–

10/7/14

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

अनुमोदित

10/7/14

(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति/अध्यक्ष